रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73 REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 39] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 25, 1982 (आश्विन 3, 1904)
No. 39] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 25, 1982 (ASVINA 3, 1904)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	633
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1287
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1291
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय महालेखा परीक्षक संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	12255
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	549
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	211
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2467
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	319
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolution and Nos. Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	633
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1287
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1281
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II SECTION 3.—SUB-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii).—Authoritative tests in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	12255
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	549
PART III.—SECTION—3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	211
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2467
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	219
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	*

* Folio No. not received.

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त 1982

सं० 6/3/81—बी० ए० डी०—केन्द्र सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार के भूतपूर्व औद्योगिक विकास मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ-7(15)/71—आई० सी०, दिनांक 28 अगस्त, 1981, जैसा कि इसमें समय-समय पर संशोधन किया गया है, में निम्नलिखित अग्रेतर संशोधन करती है :—

विद्यमान अनुच्छेद 4(ज) के पश्चात् निम्नलिखित को उप-अनुच्छेद (ii) के रूप में सम्मिलित किया जाए :—

"इसके अतिरिक्त सिक्किम राज्य में विद्यमान चुने हुए जिलों/क्षेत्रों में 1-3-1981 को अथवा इसके पश्चात् स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक एककों को की जाने वाली राज सहायता कुल अक्षय पूंजी निवेश के अथवा वास्तव में किए गए अतिरिक्त कुल अचल पूंजी निवेश के 20 प्रतिशत तक, किन्तु अधिकतम 20 लाख रु० की राशि तक जैसी भी दशा हो, सीमित रहेगी"।

आर० श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

(भारी उद्योग विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक अगस्त 1982

संकल्प

(इस्पात की ढली वस्तु उद्योग के लिए नामिका का गठन)

सं० 13026(50)/82-ई० आई० एम०—मशीन निर्माण, परिवहन उपकरण आदि के लिए मूल उद्योग के रूप में इस्पात की ढली वस्तु उद्योग के बढ़ते हुए महत्व और भूमिका को ध्यान में रखते हुए और मांग, क्षमता, प्रौद्योगिकी के स्तर की अधिक विस्तार से निरन्तर समीक्षा करने और इस क्षेत्र में किए गए विभिन्न प्रयासों में परस्पर सम्बन्ध स्थापित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक समझा जाता है कि उद्योग की समस्याओं की एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा निरन्तर समीक्षा की जानी चाहिए। तदनुसार, सरकार ने इस्पात की ढली वस्तु उद्योग के लिए एक नामिका गठित करने का निर्णय किया है।

2. इस नामिका में निम्नलिखित होंगे :—

1.	1. सलाहकार (तकनीकी) और पदेन संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग।	अध्यक्ष
	2. संयुक्त सलाहकार (इंजीनियरी उद्योग) योजना आयोग	सदस्य
	3. निदेशक, भारतीय इलैक्ट्रिकल स्टील	सदस्य
	4. मे० रामकृष्णन स्टील इन्डस्ट्री का प्रतिनिधि	सदस्य
	5. महाप्रबन्धक, सेण्ट्रल फाउण्ड्री फोर्ज प्रोजेक्ट, बी० एच० ई० एल०	सदस्य
	6. एसोसिएशन आफ इण्डियन इंजीनियरी इण्डस्ट्री का प्रतिनिधि	सदस्य
	7. कार्यकारी निदेशक, फाउण्ड्री फोर्ज प्लांट, एच० ई० सी०	सदस्य
	8 विकास आयुक्त, लघु उद्योग का प्रतिनिधि	सदस्य
	9 रेल मंत्रालय का प्रतिनिधि	सदस्य
	10. भारतीय मानक संस्था का प्रतिनिधि	सदस्य
	11. रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन विभाग) का प्रतिनिधि	सदस्य
	12. स्टील फर्नेस एसोसिएशन आफ इण्डिया का प्रतिनिधि	सदस्य
	13. विकास अधिकारी, तकनीकी विकास महानिदेशालय	सदस्य-सचिव
	14. अध्यक्ष की मंजूरी से यथा आवश्यक अन्य सदस्यों को सहयोजित किया जा सकता है।	

3. नामिका के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(क) उद्योग की वर्तमान स्थिति और परिप्रेक्ष्यों के बारे में विचार करना और सम्बन्धित क्षेत्रों के विकास कार्यक्रमों को देखते हुए इसके विकास के उपायों के बारे में सिफारिश करना ;

(ख) प्रौद्योगिकी के वर्तमान स्तर का निर्धारण करना और उसे विशेषरूप से क्वालिटी कण्ट्रोल, ऊर्जा/सामग्री परिरक्षण, प्राप्ति, प्रदूषण नियंत्रण, उत्पादकता में सुधार आदि के क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों के बराबर लाने के उपायों की सिफारिश करना;

(ग) इस बात की जांच करना कि मानकीकरण कहां तक प्राप्त कर लिया गया है और भारतीय मानक संस्था के परामर्श से आगे मानकीकरण के लिए विशिष्ट कार्यक्रम विकसित करना जिसके लिए कुछ प्रमुख उपयोक्ता क्षेत्रों का पता लगाना चाहिए ,

(घ) निर्यात बढ़ाने के उपायों की सिफारिश करना;

(ङ) अनुसंधान तथा विकास;

(च) उद्योग की दशा और वृद्धि से सम्बद्ध कोई अन्य पहलू ;

4. नामिका का कार्यकाल दो वर्षों का होगा।

5. स्थिति की समीक्षा करने के लिए इस सलाहकार नामिका की छ: महीनों में एक बार और यदि आवश्यकता हुई तो बारम्बार ऐसे स्थानों पर बैठकें होंगी, जैसे अध्यक्ष द्वारा निश्चित की जायें। यह नामिका इसके द्वारा लिए गए मामलों के बारे में भारत सरकार को समय-समय पर रिपोर्ट देगी।

6. आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति सभी सम्बन्धितों को भेजी जाये।

7. यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाये।

चित्रा गुप्ता, अवर सचिव

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 अगस्त 1982

संकल्प

सं० ई०-11011/23/80-हिन्दी—नागरिक पूर्ति मंत्रालय के 3 अगस्त, 1981, 4 नवम्बर, 1981 और 8 अप्रैल, 1982 के संकल्पों के क्रम में भारत सरकार निम्नलिखित को 3-8-1981 के संकल्प के क्रमांक (4) के अन्तर्गत नागरिक पूर्ति मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का सदस्य नामित करती है :—

लोक सभा सदस्य

(4) श्री राम कुमार मीना (संसद सदस्य) : सदस्य

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जनसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए ।

टी० आर० परमेश्वरन, संयुक्त सचिव

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली-110011, दिनांक 1 सितम्बर 1982

(पुरातत्व)

सं० 23/32/81-अ० उ०—भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन सभी संग्रहालय जन-साधारण के लिए सुबह 10 बजे से लेकर सायं 5 बजे तक खुले रहेंगे । यह आदेश 16-10-82 से प्रवृत्त होंगे ।

देबला मित्र, महानिदेशक

ऊर्जा मंत्रालय

(विद्युत विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 अगस्त 1982

संकल्प

सं० 7/5/82-परिषण—विद्युत तथा दूर संचार लाइनों के बीच हस्तक्षेप तथा प्रतिष्ठापनों की समस्या का समाधान करने के लिए, तथा विद्युत तथा दूर-संचार लाइनों के स्थान और कार्यकरण और प्रतिष्ठापनों के बारे में हित संबंधी किसी भी विरोध का समाधान करने की दृष्टि से भारत सरकार ने तत्कालीन निर्माण, खान और विद्युत मंत्रालय में अपने संकल्प सं० बिजली-II-151(7) दिनांक 30 मई, 1949 जिसे सं० बिजली 11-141(7) दिनांक 29 अगस्त, 1949 द्वारा संशोधित किया गया था द्वारा एक विद्युत तथा दूर-संचार के समन्वय केन्द्रीय स्थायी समिति का गठन किया था । समिति द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सदस्य सहयोजित किए जाते थे तथा तत्कालीन केन्द्रीय विद्युत आयोग तथा डाक-तार निदेशालय द्वारा एक-एक संयुक्त सचिव नामित किया जाता था । इस समिति को एतद्द्वारा नीचे दिए अनुसार पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है :—

समिति का गठन ;

1. मुख्य इंजीनियर (विद्युत प्रणाली), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण	एक-एक वर्ष के अन्तराल बाद अध्यक्ष	
2. महाप्रबन्धक (टी०एण्ड डी०सर्किल), डाक व तार विभाग, जबलपुर		
3. निदेशक (दूर-संचार), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण		सचिव (पी० टी० सी० सी० केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
4. उप महाप्रबन्धक (टी०एण्ड डी० सर्किल) डाक व तार विभाग, जबलपुर		सचिव (पी० टी० सी०सी०) डाक व तार विभाग
5. संयुक्त निदेशक (सिगनल तथा दूर-संचार (रेलवे बोर्ड)		सदस्य
6. ऊर्जा मंत्रालय का एक प्रतिनिधि विद्युत विभाग		सदस्य
7. निदेशक (आर०डी०) डाक व तार निदेशालय		सदस्य
8. निदेशक (एम० एल०) डाक व तार निदेशालय		सदस्य
9. उप निदेशक (टी०आर०सी०) डाक व तार विभाग		सदस्य
10. दक्षिणी, पश्चिमी, पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में राज्य बिजली बोर्डों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रत्येक क्षेत्र से एक-एक मुख्य इंजीनियर तथा उत्तरी क्षेत्र के राज्य बिजली बोर्डों का प्रतिनिधित्व करते हुए दो मुख्य इंजीनियर (उनकी सदस्य बारी-बारी आधार पर वर्णक्रम में एक वर्ष की अवधि के लिए होगी) ।		सदस्य
11. दक्षिणी, पश्चिमी, उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्रों तथा टेलीफोन जिला बम्बई से एक-एक उप महाप्रबन्धक (दूर-संचार/टेलीफोन) (उनकी सदस्यता बारी-बारी आधार पर होने के कारण प्रत्येक क्षेत्र के पदाधिकारियों की अवधि एक वर्ष के लिए होगी)		सदस्य
12. सेवा मुख्यालय का एक प्रतिनिधि		सदस्य

2. समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा तथा डाक व तार निदेशालय सचिवालय सहायता की व्यवस्था करेगा ।

3. समिति के कार्य

समिति :

(1) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा इस विषय पर जारी किए गए विद्यमान नियमों और विनियमों का अध्ययन करेगी और अद्यतन अनुसंधानों और विकासों तथा अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए किन संशोधनों की आवश्यकता है और उन के बारे में सुझाव देगी ।

(2) समन्वय समस्या सम्बद्ध वैज्ञानिक तथा क्षेत्रीय अध्ययन आरम्भ करेगी ।

(3) सभी सामन्वय संबंधी अलग-अलग मामलों की जांच और अध्ययन करेगी और किए जाने वाले उपायों की सिफारिश करेगी ।

4. उपरोक्त कार्य करने के लिए समिति डाक व तार विभाग की इंजीनियरी शाखाओं, केन्द्रीय और राज्य सरकारों के इंजीनियरी विभागों तथा भारत में अन्य वैज्ञानिक संगठनों से विभिन्न क्षेत्रीय अध्ययन और प्रयोग करने के लिए सहायता ले सकती है जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर तथा वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली ।

3 इस दृष्टि से कि क्षेत्रीय परीक्षण तथा अन्वेषण समिति की ओर से विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों तथा डाक व तार विभाग द्वारा किए जाए और यह सिफारिश की जाती है कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों, जिनकी समन्वय समस्याओं पर विचार किया जाना है, इस कार्य के लिए अपने वार्षिक बजट में आवश्यक एकमुश्त अनुदान की व्यवस्था करते रहना चाहिए ।

आदेश

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों/सभी संघ शासित क्षेत्रों, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, क्षेत्रीय बिजली बोर्डों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधान मंत्री का सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव, योजना आयोग तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को भेज दिया जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का सर्व-साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

एस० रमेश, संयुक्त सचिव

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर, 1982

संकल्प

विषय :—केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों (सिविल तथा विद्युत) की संवर्ग संरचना तथा अन्य सम्बद्ध मामलों में सुधार करने के उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन ।

सं० 14016(1)/82-ई० डब्ल्यू०-I—केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ इंजीनियरों (सिविल तथा विद्युत) की संवर्ग संरचना तथा अन्य सम्बद्ध मामलों के और यांत्रिकीकरण का प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा है । इसलिए, इस मामले पर गहराई से अध्ययन करने तथा विशेष सिफारिशें देने के उद्देश्य से भारत सरकार, निर्माण और आवास मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि तत्काल एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना चाहिए ।

2 इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

1	निर्माण महानिदेशक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	अध्यक्ष
2.	महानिदेशक (सड़क), नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय	सदस्य
3	संयुक्त सचिव (निर्माण), निर्माण और आवास मंत्रालय	सदस्य
4.	वित्तीय सलाहकार, निर्माण और आवास मंत्रालय	सदस्य
5.	संयुक्त सचिव (स्थापना), कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग	सदस्य

निर्माण और आवास मंत्रालय के अवर सचिव (ई० डब्ल्यू०) इस समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

3. यह समिति, वर्तमान संवर्ग संरचना, भर्ती की पद्धति, पदोन्नति के अवसर, स्टाफ मानदण्डों और अन्य सम्बद्ध मामलों का अध्ययन करेगी तथा इस विभाग की विभिन्न शाखाओं में कनिष्ठ इंजीनियरों (सिविल तथा विद्युत) को सौंपे गये कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों तथा अपेक्षित समान दक्षताओं को देखते हुए और सभी सम्भव मितव्ययता को भी देखते हुए सिफारिशें करेगी । यदि पदों के उन्नयन के कारण किसी अतिरिक्त व्यय का प्रस्ताव है तो संवर्ग के भीतर ही समान बचत भी सुझाई जाय ।

4. यह समिति स्वयं अपनी प्रक्रिया से युक्ति कुछ निकाले । निर्माण तथा आवास मंत्रालय तथा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग वह सूचना तथा दस्तावेज जिनकी इस समिति को आवश्यकता होगी प्रस्तुत करेंगे तथा अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे ।

5. यह समिति अपनी पहली बैठक की तारीख से चार महीनों की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । तथापि, यह समिति अपनी अन्तरिम रिपोर्ट यदि कोई हो, चार महीनों के अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व प्रस्तुत कर सकती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में आम जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाये ।

एस० आर० अडिगे, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT)

New Delhi, the 20th August 1982

No. 6/3, 81-BAD.—The Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. F. 7(15)/71-IC, dated the 26th August, 1971, as amended from time to time.

The following may be added as sub-para (ii) after the existing para 4(h) :—

"Further, in respect of industrial units to be set up on or after 1-3-1981 in the existing selected districts/areas in the State of Sikkim, subsidy will be limited to 20% of the total fixed capital investment or additional total fixed capital investment actually made, as the case may be, subject to a maximum of Rs. 20 lakhs".

R. SRINIVASAN, Jt. Sec.

(DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY)

New Delhi, the 31st August 1982

RESOLUTION

(Constitution of a Panel for the Steel Casting Industry)

No. 13026(50)/82-EIM.—In view of the growing importance and the role of Steel Casting Industry as a basic industry for machine building, transportation equipment etc. and in view of the need for a constant review of demand, capacity, technology level in greater details and for correlating various efforts made in that field, it is considered necessary that the problems of the industry should be kept under constant review by an expert advisory body. Government have accordingly decided to constitute a Panel for Steel Casting Industry.

2. The Panel will consist of :—

CHAIRMAN

(i) Adviser (Technical) & Ex-Officio Joint Secretary, Department of Heavy Industry.

MEMBERS

(ii) Joint Adviser (Engineering Industry), Planning Commission.

(iii) Director, Bhartia Electrical Steel.

(iv) Representative of M/s. Rama Krishnan Steel Industry.

(v) General Manager, Central Foundry Forge Project, BHEL.

(vi) Representative of Association of Indian Engineering Industry.

(vii) Executive Director, Foundry Forge Plant, HEC.

(viii) Representative of DCSSI.

(ix) Representative of Ministry of Railways.

(x) Representative of Indian Standards Institution.

(xi) Representative of Ministry of Defence, (Dept. of Defence Production).

(xii) Representative of Steel Furnace Association of India.

MEMBER-SECRETARY

(xiii) Development Officer, DGTD.

(xiv) Other members can be co-opted as necessary with approval of Chairman.

3. The terms of reference of the Panel are :—

(a) To consider the present status & perspectives of the industry and to recommend measures for its growth keeping in view the development programmes of the related sectors.

(b) To evaluate the present level of technology and to recommend measures to bring the same at par with the international levels specially in the areas of quality control, energy/material conservation, yield, Pollution control, improvement of productivity etc.

(c) To examine the extent to which standardisation has been achieved and evolve specific programmes for further standardisation in consultation with the ISI for which a few major users sectors should be identified.

(d) To recommend measures for increasing exports.

(e) Research & Development.

(f) Any other aspects relevant to the health and growth of the industry.

4. The term of the panel will be 2 years.

5. This Advisory Panel will meet to review the position once in six months and more frequently if occasion warrants, at such a places as may be decided by the Chairman. It will submit periodical reports to the Government of India about the matter handled by it.

ORDER

6. ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

7. ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India.

CHITRA GUPTA, Under Secy.

MINISTRY OF SUPPLIES

New Delhi, the 28th August 1982

No. E-11011/23/80-Hindi.—In continuation of Ministry of Civil Supplies Resolutions of even number dated the 3rd August, 1981, 4th November, 1981 and 8th April, 1982, the Government of India hereby nominate the following as a member of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Civil Supplies against S. No. 4 of the resolution dated 3-8-81 :—

Member of Lok Sabha

Shri Ram Kumar Meena (M.P.) : Member

ORDER

ORDERED that a copy of this resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat Comptroller & Auditor General of India, A.G., C.W.&M. and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. R. PARAMESWARAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

New Delhi-110011, the 1st September 1982

(ARCHAEOLOGY)

No. 23/32/81/EE.—All Museums under the Archaeological Survey of India will henceforth remain open to the public from 10.00 a.m. to 5.00 p.m. The orders will come into force from 16-10-82.

D. MITRA, Director General

MINISTRY OF ENERGY

(DEPARTMENT OF POWER)

New Delhi, the 9th August 1982

No. 7/5/82-Trans.—With a view to solving the problems of interference between power and telecommunication lines and installations and to resolving any conflict of interest in regard to the location and working of power and telecommunication lines and installations, the Government of India in the then Ministry of Works, Mines and Power had constituted a Central Standing Committee of Co-ordination of Power and Telecommunication Lines vide its Resolution No. EL.II-151(7) dated 30th May, 1949 as amended by No. EL.II-141 (7) dated 29th August, 1949. The Committee was to co-opt additional members as may be necessary from time to time and nominated a Joint Secretary each from the then Central Electricity Commission and the Posts & Telegraphs Directorate. It is hereby resolved to re-constitute this Committee as detailed below :

Composition of the Committee :

To be Chairman in alternate years

1. Chief Engineer (Power Systems), Central Electricity Authority.
2. The General Manager (T&D Circle), Posts & Telegraphs Department, Jabalpur.
   Secretary (PTCC), Central Electricity Authority.
3. Director (Telecom), Central Electricity Authority. Secretary (PTCC), Posts & Telegraphs Department.
4. Deputy General Manager (T&D Circle), Posts & Telegraphs Department, Jabalpur.

Members

5. Joint Director (Signals & Telecom), Railway Board.
6. A representative of the Ministry of Energy (Department of Power).
7. Director (RD), Posts & Telegraphs Directorate.
8. Director (ML), Posts & Telegraphs Directorate.
9. Deputy Director (TRC), Posts & Telegraphs Department.
10. One Chief Engineer from each region representing the State Electricity Boards in the Southern, Western, Eastern and North-eastern Regions and two Chief Engineers from Northern Region representing the State Electricity Boards of the Region (their membership being on a rotational basis in the alphabatical order limited to a period of one year).
11. One Deputy General Manager (Telecom/Telephone), P&T Department, from each of the Southern, Western, Northern and Eastern Regions and Telephone District, Bombay (their membership being on a rotational basis of the incumbents in each region limited to a period of one year).
12. A representative of the Army Headquarters.

2. The Headquarters of the Committee shall be at Delhi and the Posts & Telegraphs Directorate will provide secretariat assistance.

3. *Functions of the Committee*

The Committee shall :

(i) study the existing rules and regulations issued on the subject by competent authorities and suggest what modifications if any, are called for in the light of present day researches and developments and international practices.

(ii) initiate and undertake scientific and filed studies associated with the problem of coordination.

(iii) examine and study all individual co-ordination cases and recommend measures to be undertaken.

4 For carrying out the above functions, the Committee may seek the assistance of the Engineering Branches of the Posts and Telegraphs Department, the Engineering Departments of the Central and State Governments and other scientific organisations in India, such as the Indian Institute of Science Bangalore and the Council of Scientific and Industrial Research New Delhi in carrying out various field studies and experiments

5 In order that field tests and investigations may be carried out by the various scientific bodies and the Posts and Telegraphs Department on behalf of the Committee, it is recommended that the Central and State Governments whose co ordination problems are to be considered should continue to provide in their annual budgets necessary lump sum grants for the purpose

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all State Governments/State Electricity Boards/all Union Territories National Thermal Power Corporation, National Hydro Electric Power Corporation the Central Electricity Authority Regional Electricity Boards, all Ministries of the Government of India The Prime Minister's Secretariat Secretary to the President the Planning Commission and the Comptroller and Auditor General of India

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

S RAMESH Jt Secy

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

New Delhi, the 6th September 1982

Sub Setting up of a Committee to recommend measures to improve the cadre structure and other allied matters of Junior Engineers (Civil & Electrical), in the Central Public Works Department

No 14016(1)/82 EWI —The Government of India have had under consideration the question of further rationalisation of the cadre structure and other allied matters of Junior Engineers (Civil and Electrical) in the Central Public Works Department Therefore in order to make an indepth study in the matter and make specific recommendations, the Government of India in the Ministry of Works & Housing have been pleased to decide that an Expert Committee should be set up with immediate effect.

2 The Committee shall consist of the following

Chairman

1 Director General (Works)
CPWD

Members

2 Director General (Roads)
Ministry of Shipping & Transport

3 Joint Secretary (Works)
Ministry of Works & Housing

4 Financial Adviser,
Ministry of Works & Housing

5 Joint Secretary (Estt)
Dept of Personnel & A R

Under Secretary (EW) Ministry of Works and Housing will act as Secretary to the Committee

3 The Committee shall study the existing cadre structure method of recruitment promotional avenues, staffing norms and other allied matters and make recommendations, keeping in view the duties and responsibilities assigned to the Junior Engineers (Civil & Electrical) in different wings of the department and the matching skills required and also keeping in view all possible economy If any extra expenditure is proposed on account of upgradation or posts, matching savings from within the cadre may also be suggested

4 The Committee will devise its own procedure The Ministry of Works & Housing and the Central Public Works Department will furnish such information and documents as may be required by the Committee and render all other necessary assistance

5 The Committee will submit its report within a period of four months from the date of its first sitting However, the Committee can submit interim reports, if any, before the end of its term of four months

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information

S R ADIGE Jt Secy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1982